

28/11/19
(PA)

3077


उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

MD 11/11/19 29-11-19
4:30 PM

सेवा का अधिकार भवन
1-चालंग हिल्स, पो.ऑ.-कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून
दूरभाष- 0135-2608973, 2608974
वेबसाईट:-urtsc.uk.gov.in, ई-मेल:-urtsc@gmail.com

पत्रांक: 1052 / 19-15(01) / 2015

दिनांक: 15 नवम्बर, 2019



कार्यालय आदेश

A to 10/10/19
28/11/19
CAO

उत्तराखण्ड बजट विभाग, सचिवालय देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत लोक सेवाओं में कमी के लिए अधिरोपित की जाने वाली शास्ति (दण्ड) को सरकारी खजाने में जमा करने हेतु अलग से प्राप्ति लेखाशीर्षक का निर्धारण किया गया है जो निम्न प्रकार है:-

SSO (Est)
SSO (Est)

0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 60 अन्य सेवाएँ 119 लोक सेवाओं में कमी के लिये दण्ड 02 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत प्राप्ति 01 दण्ड से प्राप्ति

29.11.19
असोज अहमद
मुख्य अभियन्ता (SSO)

अतः समस्त द्वितीय/प्रथम अपीलीय अधिकारियों/पदाभिहित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के जारी हो जाने के पश्चात अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति से संबंधित समस्त वसूलियों को उपरोक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा करना सुनिश्चित किया जाये।

3463
30-11-19

(डी.एस. गार्बाल)
मुख्य आयुक्त (प्रभारी)

30/11/19
(SSO)

संख्या: 1052 / 19-15(01) / 2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी (नोडल अधिकारी)।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम से संबंधित) को इस आशय से प्रेषित की आपके विभाग के द्वितीय/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों और पदाभिहित अधिकारियों को उपरोक्त से सूचित करने की कार्यवाही करें।
4. समीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।

AO प्रकीर्ण
30/11/19

CAO
30/11/19
SSO (R-1)

30/11/19

1158/01/19
30/11/19

(बी.बी. ध्यानी)
वित्त अधिकारी।

P.T.O

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रकरण पत्र संख्या 1158/01 (11/11/19) देहरादून

दिनांक 30/11/19

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक

कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियंता जे.पी. / रा.मं. / वल्लभ / पी.एम.ओ. / ए.डी. पी.एम. की.एल.वा.ड. लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा / पौड़ी / देहरादून।
- 2- एमए अधीक्षण अभियंता --- डॉ. शूल, लोक निर्माण विभाग अपने अधीनस्थ रूपों को भी उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- 3- अतिरिक्त अभियंता (आ.प्र.वी.) विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग को उक्त पत्र को विभागीय ई-लाइट पर अपलोड करे जाने हेतु।

IT head

चन्दन सिंह वर्मा
अधिसूची अधिष्ठाता

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून